संख्याः 2913/79–6–2007

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग **लखनऊ : दिनांकः 01 नवम्बर, 2007**

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2816/79–6–07 दिनांकः 23.10.2007 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त सरकारी/परिषदीय/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों/ईजीएस केन्द्रों में कक्षा–1 से 5 तक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में परिषदीय एवं सरकार से सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पका–पकाया भोजन (कुक्ड़ मील) दिया जा रहा है। प्रदेश के कतिपय जनपदों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि योजनान्तर्गत दूषित तेल से निर्मित पूड़ी खाने सेस बच्चे बीमार हो रहे हैं।

2– अतः शासन के अग्रिम आदेशों तक मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत दिए जा रहे भोजन में पूड़ी का प्रयोग न किया जाय बल्कि इसके स्थान पर गेहूँ का दलिया अथवा आटे से निर्मित रोटी दी जाए इसके अतिरिक्त पूर्व से निर्धारित मीनू का अनुपालन यथावत सुनिश्चित किया जाए।

3– यदि किसी विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत बच्चों को पूड़ी दिए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो इसके लिए संबंधित ग्राम प्रधान तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,
ह0
(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन समसंख्यक (1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0
(रमेश चन्द्र घिल्डियाल)
संयुक्त सचिव।